दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि : 12.04.2023

सि.वि.(मुख्य) 576/2023

एस. गुरबचन सिंह और अन्य ....याचिकाकर्ता

बनाम

गीता इस्सर .....प्रत्यर्थी

इस मामले में पेश होने वाले अधिवक्ता :-

याचिकाकर्ता के लिए : श्री नितिन मित्तल, अधिवक्ता सह श्री कुलजीत सिंह, प्राधिकृत प्रतिनिधि

प्रत्यर्थी के लिए : श्री ऋषि सूद, अधिवक्ता

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति श्री तुषार राव गेडेला

निर्णय

तुषार राव गेडेला, न्या. (मौखिक)

[कार्यवाही हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित की गई है]

सि.वि.आ. 17463-64/2023

1. सभी न्यायसंगत अपवादों के अध्यधीन अनुमति प्रदान की जाती है।

2. आवेदनों का निपटान किया जाता है।

<u>सि.वि.आ. 17465/2023</u>

3. यह विचारण न्यायालय के अभिलेख को दाखिल करने से छूट की मांग करने वाला आवेदन है।

4. इस चरण पर, विचारण न्यायालय के अभिलेख को मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तदनुसार आवेदन का निपटान किया जाता है।

<u>सि.वि.(मुख्य) 576/2023 और सि.वि.आ. 17462/2023 (रोक)</u>

6. याचिकाकर्ता ने *गीता इस्सर बनाम एस गुरबचन सिंह* शीर्षक वाली आरसी/एआरसी संख्या 5210/2016 में पारित 21.02.2023 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत याचीगण को दस्तावेजों की छायाप्रति, जिनकी मूल प्रतियां बाद में दायर करने की अनुमति दी गई है, के आधार पर स्थानीय आयुक्त के समक्ष प्रत्यर्थी के गवाह का प्रति-परीक्षण करने का निर्देश दिया गया है।

7. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता नितिन मित्तल ने कहा कि आक्षेपित आदेश के तहत निर्धारित प्रक्रिया एक अनूठी प्रक्रिया है क्योंकि मूल दस्तावेजों को विचारण न्यायालय या स्थानीय आयुक्त के समक्ष पेश किए जाने से पहले ही, न्यायालय याचिकाकर्ता से उन छायाप्रतियों पर जिरह करने की उम्मीद कर रहा है।

8. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी को बाद के चरण में छायाप्रतियों के उन मूल दस्तावेजों को दाखिल करने की अनुमति भी दी है। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि यह प्रक्रिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इसके बाद "साक्ष्य अधिनियम") की धारा 62 के विपरीत है और छायाप्रति के आधार पर जिरह नहीं हो सकती है।

9. विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आक्षेपित आदेश प्रक्रियात्मक मानदंडों का घोर उल्लंघन है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।

10. दूसरी ओर प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषि सूद ने कहा कि विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पति के चिकित्सा मुद्दे के कारणों पर विचार किया था और यह भी

सुनिश्चित करने के लिए कि मुकदमे में कोई देरी न हो या इसे लटका कर न रखा जाए, विचारण न्यायालय ने ऐसा निर्देश पारित किया है।

11. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि छायाप्रतियों के आधार पर प्रति परीक्षा, यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी द्वारा मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन है और इसलिए, प्रत्यर्थी के गवाह से जिरह करके याचिकाकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

12. विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि यह अच्छी तरह से स्थापित विधि है कि मुद्दों को केवल मूल दस्तावेजों के आधार पर तय किया जाएगा, न कि अन्यथा और इस तरह के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आक्षेपित आदेश विधि अनुसार रक्षणीय है।

13. इस न्यायालय ने दलीलों को सुना है और अभिलेख पर रखे गए आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया है।

14. प्रारंभ में ही साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के प्रावधानों को निम्नानुसार उद्धृत करना उचित होगा :-

"62. प्राथमिक साक्ष्य - प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत हैं।

स्पष्टीकरण 1 जहां कि कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है वहां हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। जहां कि कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है और हर एक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है, वहां हर एक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध, जिन्होंने उसका निष्पादन किया है, प्राथमिक साक्ष्य है।

स्पष्टीकरण 2 - जहां कि अनेक दस्तावेज एकरूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाए गए हैं जैसा कि मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण में होता है, वहां उनमें से हर एक शेष अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किन्तु जहां कि वे सब किसी सामान्य मूल की प्रतियां हैं वहां वे मूल की अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। कोई भी प्लेकार्ड किसी अन्य अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है परन्तु उनमें से कोई भी मूल की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है "

उपरोक्त और साथ ही प्राथमिक दस्तावेज के गठन के संबंध में निर्णयों की श्रेणी से, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि केवल मूल दस्तावेज प्राथमिक साक्ष्य का गठन करते हैं और वे छायाप्रतियां जो अन्यथा द्वितीयक साक्ष्य के माध्यम से साबित होती हैं, वे भी ठोस

सबूत बना सकते हैं, जिन्हें न केवल साबित किया जा सकता है, बल्कि पार्टियों द्वारा एक वाद में इसका अवलंब भी लिया जा सकता है।

15. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह तथ्य सामने आता है कि निर्देशित प्रक्रिया स्वयं धारा 62 के विपरीत है, साथ ही इस संबंध में कानून के भी विपरीत है क्योंकि जिरह पक्षकार का एक महत्वपूर्ण अधिकार है जहां पक्षकार न केवल गवाह पर संदेह करने का हकदार है, बल्कि दस्तावेजों के आधार पर दूसरे पक्ष के मामले को भी ध्वस्त करने का हकदार है। यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि छायाप्रतियां साक्ष्य में अस्वीकार्य हैं जब तक कि वे साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 और 65 के अनुसार साबित न हों।

16. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि द्वितीयक साक्ष्य द्वारा दस्तावेजों को साबित करने का ऐसा कोई अवसर नहीं आया था, याचिकाकर्ता को छायाप्रतियों के आधार पर प्रत्यर्थी के गवाहों से जिरह करने का निर्देश देने का सवाल कानून में ज्ञात प्रक्रिया के बिल्कुल विपरीत है।

17. एक अन्य पहलू जिस पर विचार किया जाना चाहिए वह यह है कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा जिरह किए जाने के बाद, प्रत्यर्थी मूल रूप

में कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो जहां तक उन दस्तावेजों का संबंध है, जिरह निरर्थक व नगण्य हो जाएगी।

18. गवाह से जिरह करने का अधिकार प्रदान करते हुए, संभवतः विधायिका का यह इरादा नहीं हो सकता है कि काल्पनिक दस्तावेजों पर जिरह की जाए, जिनके संबंध में अभी तक यह निर्धारित नहीं किया गया है कि वे कानून में स्वीकार्य हैं या अस्वीकार्य।

19. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्देशित प्रक्रिया कानून के लिए प्रतिकूल है और इस प्रकार अरक्षणीय है। आक्षेपित आदेश न्यायिक समीक्षा का सामना नहीं कर सकता है और इसे रद्द किया जाता है।

20. विचारण न्यायालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी द्वारा अवलंब लिए गए दस्तावेजों के मूल को अभिलेख पर लाया जाए। इसके बाद, इन्हें, जिन पर याचिकाकर्ता द्वारा जिरह शुरू की जानी है, अभिलेख का हिस्सा बनाने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

21. जब तक उपरोक्त कार्य किया जाता है, तब तक विचारण न्यायालय प्रत्यर्थी के किसी भी गवाह से जिरह करने के लिए कोई निर्देश पारित नहीं करेगा।

22. इस चरण पर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी के पास मौजूद मूल दस्तावेजों को पेश किया जाएगा और 09.05.2023 को विचारण न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर रखा जाएगा जिस दिन मामला सूचीबद्ध होना बताया गया है।

23. उपरोक्त मामले को ध्यान में रखते हुए, याचिका और लंबित आवेदन का जुर्माने के संबंध में बिना किसी आदेश के निपटान किया जाता है।

तुषार राव गेडेला, न्या.

12 अप्रैल, 2023

एजे

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*